भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या -1331

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 94(2) को लागू करना

†1331. डॉ. मल्लू रविः

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तराधिकारी राज्य तेलंगाना में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 94 (2) के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवद्धताओं को पूर्ण रूप से लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2014-15 से उक्त प्रावधान के अंतर्गत स्वीकृत और जारी किए गए विशेष सहायता अनुदान का वर्ष-वार व्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई पात्र विशेष सहायता अनुदान जारी किया जाना लंबित है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का संसद के अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली वैधानिक वित्तीय सहायता को समय पर जारी करने और उसकी निगरानी के लिए एक पारदर्शी तंत्र लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): जी हां।

(ख): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (एपीआरए), 2014 की धारा 94(2) के तहत तेलंगाना राज्य को 450 करोड़ रुपये प्रति किश्त की छह किश्तों में कुल 2700 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्णय लिया गया। तेलंगाना राज्य को संपूर्ण राशि जारी कर दी गई है, जिसका विवरण नीचे दिए अनुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि
1	2015-16	450.00

2	2016-17	450.00
3	2017-18	450.00
4	2018-19	450.00
5	2020-21	450.00
6	2025-26	450.00
	कुल	**2700.00**

(ग): जी नहीं।

(घ): संसद के अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली, वैधानिक वित्तीय सहायता जारी किए जाने की निगरानी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है।
